भारत सरकार

खान मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *151

दिनांक 18.12.2023 को उत्तर देने के लिए

नए खनिज भंडारों की खोज

*151. श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान यदि कोई नए खनिज भंडार पाए गए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार किस प्रकार चुनौतियों पर काबू पा रही है और देश में खनिज अन्वेषण के अवसरों का लाभ उठा रही है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

‘नए खनिज भंडारों की खोज’ के संबंध में श्री सतीश चंद्र दूबे द्वारा दिनांक 18.12.2023 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 151 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट, सोना, पीजीई, आधार धातु, दुर्लभ मृदा तत्वों, मोलिब्डेनम, निकल, टंगस्टन, लिथियम, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, पोटाश, फॉस्फोराइट आदि जैसी विभिन्न खनिज वस्तुओं के संसाधन का संवर्धन करने के उद्देश्य से देश में खनिज गवेषण करता रहा है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में जीएसआई द्वारा शुरू की गई खनिज गवेषण परियोजनाओं का ब्योरा अनुबंध-**I** में दिया गया है। इसके अलावा, खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, 2015 में संशोधन के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में जीएसआई द्वारा संवर्धित संसाधनों का ब्योरा अनुबंध-**II** में दिया गया है।

इसके अलावा, खान मंत्रालय के राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास ने देश में 270 खनिज गवेषण परियोजनाओं को भी वित्त-पोषित किया है जिनमें से 162 परियोजनाएं पूरी की गयी हैं। पूरी की गयी 162 परियोजनाओं में से, 88 परियोजनाओं में खनिज भंडार पाए गए हैं और उनका ब्योरा अनुबंध-**III** में दिया गया है।

केंद्र सरकार ने खनिज गवेषण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता (ओजीपी) और गवेषण अधीन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत का ओजीपी 5.71 लाख वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 6.88 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। गवेषण अधीन क्षेत्र 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर में से लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक सीमित है, इस प्रकार 30% से अधिक गवेषण हासिल किया जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में, एमएमडीआर अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं जिससे खनन क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है। अब तक, राज्यों द्वारा (एमएमडीआर अधिनियम 2015 के बाद से) कुल 335 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है, जिनमें से 227 (68%) की नीलामी 2021-22 (एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2021 के बाद से) के बाद की गई है।

(ख): देश में खनिज गवेषण की चुनौतियों से निपटने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) वर्ष 2021 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में किए गए संशोधन ने केंद्र सरकार को पूर्वेक्षण प्रचालन करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अधिसूचित करने का अधिकार दिया है। अधिसूचित एजेंसियां राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) से वित्त पोषण के लिए पात्र हैं। अब तक, देश में खनिज गवेषण शुरु करने के लिए कुल 16 निजी एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है। ये एजेंसियां महत्वपूर्ण खनिजों और गभीरस्थ खनिज परियोजनाओं के प्रस्तावों को सीधे एनएमईटी को प्रस्तुत कर सकती हैं और अन्य खनिजों से

संबंधित प्रस्तावों को राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकती हैं। इसके अलावा, एनएमईटी द्वारा ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में सोने, आधार धातुओं, अन्य कीमती खनिजों, सामरिक/महत्वपूर्ण खनिजों और उर्वरक खनिजों की जी4 वस्तुओं के लिए परियोजना की अनुमोदित लागत का 25% गवेषण प्रोत्साहन (ईआई) शुरु किया गया है। यदि ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम हो जाता है या जी4 से जी3 चरण में अपग्रेड हो जाता है तो गवेषण प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा।

(ii) दुर्लभ मृदा तत्वों सहित महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के महत्व को देखते हुए, एमएमडीआर अधिनियम में वर्ष 2023 में और संशोधन किए गए हैं, जिससे केंद्र सरकार को प्रथम अनुसूची के भाग घ में सूचीबद्ध 24 खनिजों के संबंध में खनन पट्टा या संयुक्त लाइसेंस देने के लिए नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। संशोधन में अधिनियम की सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 खनिजों के लिए महत्वपूर्ण और गभीरस्थ खनिजों के टोही और पूर्वेक्षण प्रचालन करने के लिए गवेषण लाइसेंस (ईएल) का प्रावधान भी किया गया।

(iii) इसके अलावा, जीएसआई संपूर्ण भारत में भूवैज्ञानिक मानचित्रण, भू-रासायनिक मानचित्रण, भूभौतिकीय मानचित्रण और हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण जैसे आधारभूत भू-विज्ञान डेटा तैयार कर रहा है जो खनिज गवेषण की प्रभावी योजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जीएसआई ने प्राथमिकता के आधार पर देश के सुगम हिस्से के राष्ट्रीय भू-रासायनिक और भूभौतिकीय मानचित्रण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जीएसआई पूर्व-चिह्नित स्पष्ट भूवैज्ञानिक संभावित क्षेत्रों (7.78 लाख वर्ग किमी) और अन्य क्षेत्रों पर समान हवाई-भूभौतिकीय डेटा प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय हवाई-भूभौतिकीय मानचित्रण कार्यक्रम (एनएजीएमपी)" भी कार्यान्वित कर रहा है।

(iv) सभी हितधारकों के लाभ के लिए एक राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी स्थापित की जा रही है जिसमें सभी भूवैज्ञानिक आंकड़े एक मंच पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

***

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसआई द्वारा खनिज गवेषण (जी2/जी3/जी4) का ब्योरा

क. गैर ऊर्जा खनिज:

राज्य	शुरू की गई गवेषण परियोजनाओं की संख्या				वस्तु
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
मेघालय	5	4	6	9	बॉक्साइट, चूना पत्थर, आरईई, फॉस्फेट, लिथियम-आरईई और आरएम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, सिलिमेनाइट, फॉस्फेट, आधार धातु
असम	3	2	6	5	आरईई, चूना पत्थर, मोलिब्डेनम, सोना
अरुणाचल प्रदेश	7	8	5	6	ग्रेफाइट, सोना, आधार धातु, वैनेडियम, आरईई और संबंधित कीमती और आधार धातु, लिथियम, टैंटलम, फॉस्फोराइट
नागालैंड	1	0	3	3	लोहा, निकल, सोना, लिथियम और आरईई, निकल-क्रोमाइट और पीजीई, चूना पत्थर
सिक्किम	1	0	0	1	ग्रेफाइट, आधार धातु, सोना
मणिपुर	1	2	1	0	तांबा-निकल और पीजीई, क्रोमियम
छत्तीसगढ़	5	15	20	23	बॉक्साइट, चूना पत्थर, लोहा, आरईई, ग्लॉकोनिटिक शेल/बलुआ पत्थर, ग्रेफाइट, सोना, आरईई और आरएम, लिथियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, आधार धातु, फॉस्फोराइट, हीरा, पोटाश, तांबा, बेरियम, मैंगनीज
महाराष्ट्र	8	8	13	13	तांबा, आधार धातु, आरईई और आरएम, वैनेडियम, क्रोमाइट-निकल और पीजीई, बॉक्साइट, टंगस्टन, सीसा-जस्ता, सोना, पाइरोफिलाइट
मध्य प्रदेश	14	20	28	24	तांबा, आधार धातु, बेराइट और आधार धातु, स्कैंडियम और लिथियम, फॉस्फोराइट, निकल-क्रोमाइट और पीजीई, लेटेराइट और बॉक्साइट, सोना, ग्रेफाइट, आरईई, मोलिब्डेनम, पीजीई, सिलिका और आधार धातु, हेफ़नियम-नाइओबियम-यट्रियम और आरईई,

					टंगस्टन, सोना, हीरा, आरएम, वैनेडियम, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, फ़ाइरोफ़लाइट, डायस्पोर, पोटाश, मैंगनीज़, निकल
हरियाणा	1	2	2	3	तांबा, आरईई, आरएम, टिन, आधार धातु
हिमाचल प्रदेश	1	2	6	2	फॉस्फोराइट, जिप्सम, वैनेडियम, टंगस्टन, आरईई, सीसा-जस्ता
उत्तर प्रदेश	5	4	7	11	बॉक्साइट, सोना, पोटाश, आधार धातु, टिन-टंगस्टन, आरईई और आरएम, हीरा, लोहा, चूना पत्थर, पोटाश, भारी खनिज, निकल-मोलिब्डेनम, वैनेडियम, टाइटेनियम
उत्तराखंड	2	6	4	4	टंगस्टन-टिन, आरएम और आरईई, आधार धातु, मोलिब्डेनम, सोना, वैनेडियम, फॉस्फोराइट, पोटाश
संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	0	0	2	2	क्रोमाइट, निकल, लिथियम, पीजीई
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	2	5	2	4	ग्रेफाइट, बॉक्साइट, आरईई, लिथियम, टिन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकल, पीजीई, सोना, आधार धातु, नीलम, चूना पत्थर
पंजाब	1	0	1	0	पोटाश
आंध्र प्रदेश	13	16	24	26	तांबा, मैंगनीज, हीरा, चांदी, सोना, टंगस्टन, बेराइट, मोलिब्डेनम, सीसा-जस्ता, ग्रेफाइट, फॉस्फोराइट, आरईई, लिथियम, आरएम, आधार धातु, निकल और कोबाल्ट,
कर्नाटक	13	14	17	24	सोना, तांबा, आरईई, क्रोमियम-निकल और पीजीई, आरएम, कोबाल्ट, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, आधार धातु, सीसा-जस्ता, चांदी, लोहा, मैंगनीज, फॉस्फोराइट, चूना पत्थर, बॉक्साइट, हीरा, लिथियम
तेलंगाना	3	4	7	11	आरईई, आधार धातु, क्रोमाइट, पीजीई, सोना, बॉक्साइट, आरएम, चूना पत्थर, तांबा, हीरा
तमिलनाडु	1	8	10	15	मोलिब्डेनम, हीरा, ग्रेफाइट,

					फॉस्फोराइट, आरईई और आरएम, पीजीई-निकल-क्रोमियम, सोना, चूना पत्थर, लोहा, ड्यूनाइट, आधार धातु
गोवा	0	0	0	1	निकल
केरल	3	3	4	7	सोना, बॉक्साइट, आरईई, आरईई और आरएम, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, पीजीई और ग्रेफाइट, क्रोमियम-वैनेडियम-निकल और पीजीई, आरईई-मोलिब्डेनम- दुर्लभ धातुएं।
झारखंड	12	20	18	18	टंगस्टन, सोना, तांबा, मैंगनीज, लिथियम, सीज़ियम, आरईई और आरएम, बॉक्साइट, टाइटेनियम, वैनेडियम, गैलियम, जस्ता, ग्रेफाइट, रॉक फॉस्फेट, आधार धातु, हीरा, क्रोमाइट, लोहा
ओडिशा	13	15	22	26	लोहा, मैंगनीज, तांबा, ग्रेफाइट, आरएम, फॉस्फोराइट, हीरा, बॉक्साइट, निकल-कोबाल्ट-क्रोमियम
बिहार	6	8	6	5	सोना, आरईई और आरएम, लिथियम, पोटाश, फायरक्ले, एल्युमिनस लेटेराइट, लोहा (मैग्नेटाइट), आधार धातु
पश्चिम बंगाल	6	3	6	9	टिन, टंगस्टन, सोना, आधार धातु, आरईई, मैंगनीज, तांबा, नाइओबियम, आरएम
राजस्थान	39	51	64	67	आधार धातु, तांबा, सोना, लोहा, आरईई और आरएम, पोटाश, मैंगनीज, फॉस्फोराइट, टंगस्टन, लिथियम, चूना पत्थर, नाइओबियम, बेरिलियम, नियोडिमियम, डिस्प्रोसोम, चांदी, ग्रेफाइट, वैनेडियम, पन्ना, टेल्यूरियम, स्कैंडियम, निकल-क्रोमियम और पीजीई, सीज़ियम, स्ट्रोंटियम
गुजरात	4	6	5	6	आरईई और आरएम, टिन, टंगस्टन, टैंटलम, नाइओबियम, आधार धातु, सोना, पीजीई, निकल, क्रोमियम, लिथियम, सीज़ियम, ग्रेफाइट
कुल	170	226	289	325	

ख. ऊर्जा खनिज

राज्य	शुरू की गई गवेषण परियोजनाओं की संख्या				वस्तु
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
असम	0	0	0	0	कोयला
नागालैंड	1	1	1	1	कोयला
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	कोयला
तेलंगाना	2	1	0	1	कोयला
छत्तीसगढ	2	2	2	3	कोयला
मध्य प्रदेश	3	1	1	2	कोयला
महाराष्ट्र	2	2	2	2	कोयला
बिहार	3	1	2	1	कोयला
ओडिशा	5	2	3	4	कोयला
पश्चिम बंगाल	0	0	0	2	कोयला
झारखंड	3	0	1	0	कोयला
राजस्थान	1	0	0	0	लिग्नाइट
तमिलनाडु	2	1	1	1	लिग्नाइट
कुल	24	11	13	17	

अनुबंध-II

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद से जीएसआई द्वारा संवर्धित संसाधन का ब्योरा

क्र. सं.	वस्तु	संसाधन (मिलियन टन में)	क्र. सं.	वस्तु	संसाधन (मिलियन टन में)
1	लौह अयस्क	1833	10	आरईई अयस्क*	136
2	मैंगनीज अयस्क	25	11	लिथियम*	5.9
3	स्वर्ण अयस्क	11	12	ग्लॉकोनाइटिक अयस्क/पोटाश*	812
4	तांबा अयस्क	202	13	गैलियम अयस्क*	45
5	सीसा-जस्ता अयस्क	8	14	ग्रेफाइट अयस्क*	21
6	बॉक्साइट अयस्क	93	15	नाइओबियम*	200
7	चूना पत्थर	16640	16	वैनेडियम*	35
8	कोयला	23011	17	कोबाल्ट*	275 टन
9	लिग्नाइट	1912			

*महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज

अनुबंध-**III**

एनएमईटी द्वारा वित्त-पोषित सफल परियोजनाओं जहां खनिज भंडार पाए गए हैं, का ब्योरा

क्र. सं.	राज्य	सफल परियोजनाओं की संख्या	टिप्पणियां/वस्तुएं
1	आंध्र प्रदेश	8	आधार धातु, कोयला, हीरा, चूना पत्थर,
2	छत्तीसगढ़	11	निकल, तांबा, सोना, कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट और संबंधित खनिज
3	झारखण्ड	2	बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क, सोना और आधार धातु, अंडालुसाइट, टिन, सीसा, जस्ता
4	कर्नाटक	4	आधार धातु, कायनाइट, चूना पत्थर,

			लौह अयस्क, सोना, तांबा, सीसा, जस्ता, निकल, ग्रेफाइट
5	मध्य प्रदेश	7	चूना पत्थर, आधार धातु, सोना, मैंगनीज फॉस्फोराइट, ग्रेफाइट, कोयला
6	महाराष्ट्र	1	मैंगनीज, लौह अयस्क, निकल, क्रोमियम और सोना, पीजीई खनिजिकरण, बेरियम, सोना, सीसा, तांबा और टंगस्टन
7	नागालैंड	2	चूना पत्थर, मैग्नेटाइट / निकल-कोबाल्ट-क्रोमियम
8	ओडिशा	21	लोहा, तांबा, मैंगनीज, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट
9	राजस्थान	8	मैंगनीज, लोहा, तांबा, आधार धातु और चांदी, पोटाश, मैग्नेसाइट, मोलिब्डेनम, पन्ना, सोना और आरईई
10	तमिलनाडु	10	लिग्नाइट, ड्यूनाइट, निकल, क्रोमियम और पीजीई, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट
11	तेलंगाना	11	चूना पत्थर, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, तांबा
12	उत्तर प्रदेश	2	फॉस्फोराइट, तांबा, सीसा-जस्ता
13	पश्चिम बंगाल	1	कोयला
	कुल	88	

*****